punjab national bank

सूर्या नगर, आगरा (उ.प्र.)
SURYA NAGAR, AGRA UP - 282002
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0098300

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

Date: 30102025 (D D M M Y Y Y Y)

PAY मै० मारसन्स इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज या धारक को OR BEARER

रूपये RUPEES आठ लाख पचपन हजार आठ सौ तिरानवे मात्र

अदा करें ₹ 855893/=

खाता सं० A/c. No. 0983000100173594

बचत खाता
SAVINGS A/c
0983000100173594

Sr. ASSISTANT
D.C.D.R.C.-Ist. AGRA

PRESIDENT
D.C.D.R.C.-Ist. AGRA

ZILA UPBHOKTA VIVAD PRATITOSH FORUM FIRST
Please sign above

केवल तीन माह के लिये वैध VALID FOR THREE MONTHS ONLY

VOID

RUZW9H IWU

NUTECH SECURITY PRINTERS CTS 2010
29/08/24 097334

⑈097334⑈ 282024010⑆ 31

Received Cheque origenelly

For Marson's Electrical Industries
Prop. MEI Power Pvt. Ltd.

KAMLESH KUMAR JAIN
Director
MANAGING DIRECTOR

MARSON'S ELECTRICAL INDUSTRIES AGRA

Jasmeet Singh Ahuja
Advocate
Reg. No. 7012/05
C.O.P. No.- 048697
Room-12, Civil Court, Agra

Reserved

State Consumer Disputes Redressal Commission U.P., Lucknow.

Appeal No. 2370 of 2014

The Oriental Insurance Co. Ltd., Regional Office, Hazratganj, Lucknow through the Manager. **...Appellant.**

Versus

M/s Marsons Electrical Industries, through Managing Director, B.K. Jain s/o Shri Swaroop Chand Jain, R/o 1/189, Delhi Gate, Civil Lines, Agra. **..Respondent.**

Present:-
Hon'ble Mr. Rajendra Singh, Presiding Member.
Hon'ble Mr. Vikas Saxena, Member.

Mr. A.K. Singh, Advocate for Appellant.
Mr. Naveen Kumar Tiwari, Advocate for respondent.

Date: 10.1.2024

JUDGMENT

Per Mr. Rajendra Singh, Member: The present appeal has been filed against the judgment and order dated 11.9.2014 passed by the Ld. District Forum-I, Agra in complaint case no.116 of 2008, M/s Marsons Electrical Industries vs. The Oriental Insurance Co. Ltd.

The brief facts of this appeal are that, that the proposal application dated 14.04.06 was received on 17.04.06 did not contain any particulars of dispatch of consignment of which the complainant had full knowledge to the fact that the said consignment was loaded on 02.04.06 as shown in the bill of loading and thus complainant opted the present policy by concealment as in the proposal application dated 14.04.06, date of booking was mentioned as 02.04.06, which does not mean that the consignment was dispatched from the port. The finding of the learned DCF on this point is erroneous and is

therefore liable to be set aside. There is no deficiency in service on the part of the appellant and the appellant had rightly repudiated the claim vide letter dated 09.03.07 and 12.03.07 on the ground that the complainant had obtained the Marine Insurance Policy after 15 days of commencement of voyage.

The complainant had not intimated about the alleged loss to the appellant within 72 hours of the arrival of the consignment at Banmore, District Morena as required by the policy conditions. It is pertinent to mention here that the consignment reached the Banmore, Morena on 29.05.06, while the complainant intimated the appellant on 09.06.06. Due to delayed intimation appellant could not conduct the survey to verify the fact whether the rusting was caused due to seawater or not. The insurance was effective from 17.04.06 while as per the track and trace report, container was between Hamburg Germany and Colombo, Srilanka, when the insurance was arranged, thus no opportunity to pre-inspect the container was given to the appellant. From this survey report it is evident that no survey was arranged by the complainant at Mumbai port i.e. at the time of unloading and loading the CRGO Electrical Sheet in the truck. It is pertinent to mention here that complainant was asked by the Er. Mr. J.P. Bansal, surveyor to obtain port survey report when the goods were unloaded from the port. Further no damage certificate was obtained from the carrier till now and no notice was also given to the said carrier. Thus, it is crystal clear from the above facts that conduct of the complainant was malafide and he has not come with clean hands before the learned District Consumer Forum.

The consignment was issued on C & F basis for which appellant cannot be held liable. Hon'ble NCDRC has held that "risk under the policy would be covered from the date on which the policy is issued and not from the date of which mentioned in the policy." In 2010 (1) CPR NC 265, 2008 (4) CPR NC 61, the Hon'ble NCDRC has held that the repudiation of claim on the basis of survey report could not be called deficiency in service. The findings of the learned DCF is based on conjecture and surmises and is therefore liable to be set aside. The impugned judgement and order is perverse, arbitrary and illegal. The learned DCF has erred in avoiding huge amount under different heads without any justification. Therefore it is most humbly prayed that this Hon'ble commission may kindly be pleased to allow the appeal and to set aside the impugned judgement and order dated 11.09.2014 passed the complaint case no.116/2008, M/s Marsons Electrical Industries Vs Oriental Insurance Compare Ltd passed by the learned DCF-I, Agra.

We have heard the learned counsel for the appellant Mr. Alok Kumar Singh and learned counsel for the respondent Mr. Naveen Kumar Tewari. We have perused the pleadings, evidences and documents on record.

The complainant, a registered firm, is involved in the manufacturing of Transformers and also in the business of export and import and imports CRGO Electrical Steel Sheet from Russia and other countries through shipping and road transport. This imported CRGO Electrical Steel Sheet is insured with the opposite party for the last five years after paying a heavy premium. On 14.04.2006, The Complainant Applied for a Specific Marine Insurance Policy which is related to CRGO Electrical Steel Sheet costing about US$

145,750.50 including all the risks. The goods reached Maheva Sewa port, Mumbai and thereafter to be transported through road. The goods costing ₹ 1,899,500/– was found to be damaged and the insurance company was intimated on the same day and the claim of ₹ 1,026,636/– was presented to the opposite party on 16.08.2006 in which the salvage amount was of Rs 2,00,790.00 so a claim for ₹ 875,846/– was submitted which was repudiated on 09.03.2007 and 12.03.2007. The opposite party stated that the risk of the road transport starts when it was started from the date of voyage. The complainant has stated that this policy was taken after 15 days of voyage. As per opposite party, the ship started its journey on 02.04.2006 and the policy was taken after 15 days of the start of journey. When the claim of the complainant was received, the surveyor has been appointed and on the basis of surveyor's report, the claim was repudiated.

The policy has been issued by the opposite party. The goods were booked on 02.04.2006 from Russia to Agra. Now the appellant cannot say that he had no knowledge about the booking of the goods on the said date. The insurance was done by the opposite party and thereafter he cannot say that the insurance was taken after 15 days of the start of journey. The learned District Consumer Commission has taken all these facts and thereafter passed the impugned judgement. You are the insurance company and you have issued the Marine Insurance Policy, therefore you are liable to pay the damages as per conditions of the policy. The learned District Commission has passed the impugned judgement after considering all the facts and circumstances of the case and we do not find any ground to interfere in the said judgement. The present appeal is liable to be dismissed with cost.

ORDER

The present appeal is dismissed with cost. The judgment and order dated 11.9.2014 passed by the Ld. District Forum-I, Agra in complaint case no.116 of 2008 is confirmed.

If any amount is deposited by the appellant at the time of filing of this appeal under section 15 of the Consumer Protection Act, 1986, may be remitted to the ld. District Consumer Commission concerned for satisfying the decree, as per rules alongwith accrued interest upto date.

The stenographer is requested to upload this order on the Website of this Commission today itself.

Certified copy of this judgment be provided to the parties as per rules.

(Vikas Saxena)
Member

(Rajendra Singh)
Presiding Member

Judgment dated/typed signed by us and pronounced in the open court.

Consign to record.

10/1/2024

(Vikas Saxena)
Member

10/01/24

(Rajendra Singh)
Presiding Member

Dated 10.1.2024

JafRi, PA I
Court 2

Free Certified Copy
Serial No. of the Application 9521
Date of receipt of Application 11/01/24
Name of the applicant Mr. Naveen Kumar Tiwari
Date of ... 11/01/24
Date of ... copy 11/01/24
Date of dispatch of free certified copy of order
By Hand 12/01/24
By Post

12/01/24

दिनांक....12/9/14.. को निर्णय की सत्यापित प्रति नि शुल्क वादी/प्रतिवादी को जारी की गयी है।
अध्यक्ष

दिनांक....15/9/14.... को निर्णय की सत्यापित प्रति नि शुल्क वादी/प्रतिवादी को जारी की गयी है।
अध्यक्ष

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम प्रथम, आगरा

परिवाद सं0-116/2008

मैसर्स मारसन्स इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर बी0के0 जैन पुत्र श्री स्वरूप चन्द जैन निवासी-1/189, देहली गेट सिविल लाइन्स, आगरा।

.....परिवादी

बनाम

दि ओरियेन्टर इश्योरेंश कम्पनी लि0 द्वारा डिवीजनल मैनेजर, ब्लॉक-1, द्वितीय तल जीवन प्रकाश विल्डिंग संजय प्लेस, आगरा।

......विपक्षीग

परिवाद याजित दिनांक 14.03.2008

निर्णय दिनांक 11.09.2014

श्री श्याम विहारी शर्मा अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित

निर्णय

परिवादी पक्ष की ओर से यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध 11,40,000/- की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी का संक्षेप में कथन ये है कि वह पंजीकृत फर्म है तथा विद्युत ट्रान्सफार्म वनाने का कार्य करती है तथा आयात निर्यात भी करती है और रूस आदि देशों से CRGO Electrical Steel Sheet का आयात करती है जो जलयान द्वारा और सडक मार्ग द्वारा लाया जाना है जिसके लिये कीमत और कस्टम का भुगतान किया जाता है कि विपक्षी के माध्यम से वीमा पिछले पांच वर्षो से कराया जाजा रहा है और भारी रकम अव तक परिवादी प्रीमियम के तौर पर जमा कर चुका है दिनांक 14.04.2006 को विपक्षी के यहां एक विशिष्ट मशीन इश्योंरेंश पॉलिसी के लिये आवेदन किया था जिसमें CRGO Electrical Steel Sheet इनवाइस नं0-6745-1 दिनांक 02.04.2006 का वीमा था। जिसकी कीमत 145750.50 यू0एस डॉलर थी

बीमा सभी जोखमों के लिये था और ये माल न्हावा सेवा बन्दरगाह पर आना था वहां से सडक मार्ग द्वारा बानमोटे इलैक्ट्रीकल 3, इण्डस्ट्रियल एरिया बानमेर मीना, में आना था इस माल का बीमा विपक्षी के यहां से धारा 20 मेरीन इंश्योरेंश एक्ट के अन्तर्गत हुआ था जिसका प्रीमियम जमा किया गया। विपक्षी ने पॉलिसी जारी की थी जिसका नं0—253600 था जो 17.04.2006 को जारी हुई और कुल 72,14,625 का बीमा था। जिसका प्रीमियम 5566/— परिवादी ने जमा किया माल विदेश से शान्तिलाल नाकर एण्ड सन्स शिपिंग के यहां महेवा सेवा बन्दरगाह पर मुम्बई में आया था जो परिवादी के लिये था तथा सडक मार्ग द्वारा बानमोरि लाया गया इसमें माल 1899500/— का क्षतिग्रस्त पाया गया उसी दिन दिनांक 12.06.2006 को बीमा कम्पनी की सूचना दी गई तथा 1076636/— का क्लेम दिनांक 16.08.2006 को दाखिल किया गया जिसमें 200790/— का सालवेज था इसलिये ये क्लेम 875846/' के लिये दाखिल किया विपक्षी ने 09.03.2007 को तथा 12.03.2007 को क्लेम खारिज कर दिया और ये कहा कि सडक मार्ग का जोखिम उसी समय कवर होता है जब इसका प्रस्ताव वोयज यात्रा प्रारम्भ हुई हो यह बीमा यात्रा के 15 दिन पहले लिया गया था इसलिये कम्पनी भुगतान के लिये उत्तरदायी थी यंह आवश्यक नहीं है कि जब बीमा हुआ तो उस समय जलयान उसी स्थान पर मौजूद हो अतः विपक्षी ने सेवा में त्रुटि की है परिवादी उपभोक्ता है तथा 875846/— बीमाधन 200000/— व्यापार की क्षति, 50,000/— रूपये मानसिक कष्ट 1500 पत्राचार और 12154 ब्याज कुमल मिलाकर 11,40,000/— के लिये परिवाद प्रस्तुत किया है।

विपक्षी की ओर से उत्तर पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होने कहा कि परिवादी उपभोक्ता नहीं है उसने व्यापार मे मोटा मुनाफा कमाने के लिये बीमा

कराया कुल क्षति 677164/– सर्वेयर ने निकाली थी जो देय नहीं पायी गई है और क्लेम खारिज किया गया जबकि जलयान 02.04.2006 को चला था और इसके 15 दिन बाद पॉलिसी ली गई थी इसलिये धनराशि देय नहीं है जब क्लेम दाखिल हुआ तो सर्वेयर से जांच कराई गई। विपक्षी ने कुछ जानकारी सर्वेयर से चाही और रिपोर्ट मांगी और सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम खारिज किया गया परिवादी ने बीमा की शर्तो का उल्लंघन किया। कोई नोटिस विपक्षी को नहीं दिया गया अतः परिवाद खारिज किया जाये।

परिवादी पक्ष की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा पॉलिसी हेतु विपक्षी को लिखे पत्र की प्रति, बिल पॉलिसी, सिड्यूल, बीमा पॉलिसी, शान्तिलाल ट्रान्सपोर्ट एण्ड सन्स शिपिंग क्लीयरिंग एजेन्ट मुम्बई द्वारा जारी प्रमाण पत्र परिवादी द्वारा विपक्षी को सर्व कराने हेतु लिखा गया पत्र क्लेम फार्म तथा विपक्षी के 09.03.2007 और 12.03.2007 के पत्रों की प्रतियां दाखिल की विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से कामरान दत्त मण्डलीय प्रबन्धक का शपथपत्र दाखिल हुआ उसके साथ सर्वे रिपोर्ट बीमा पॉलिसी इनवोइस, शिपिंग कम्पनी की इनवोइस की प्रति, अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट ऑर्गेनाइशन की रसीदों की प्रति सर्वेयर से मांगी गई प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत की गई।

दोनो पक्षों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

बीमा होना दोनो पक्षों को स्वीकार है परिवादी का ये कहना है कि रूस के किसी भी बन्दरगाह से माल लादने के लिये पॉलिसी ली गई थी और विपक्षी ने सभी तथ्यों को देखते हुये पॉलिसी जारी की थी। माल की बुकिंग 02.04.2006 को रूससे आगरा के लिये हुई थी इसलिये विपक्षी का ये कहना गलत है कि परिवादी ने 02.04.2006 की बुकिंग के सम्बन्ध में कोई जानकारी

कम्पनी को नहीं दी बल्कि कम्पनी को सभी तथ्यों की जानकारी दे दी गई।

मेरीन इंश्योरेंश एक्ट 1963 की धारा 20 के अनुपालन में सभी सूचनायें दी गई थी परिवादी पक्ष की ओर से 2009(1) सी0पी0आर0 44 एन0सी0 मैसर्स जे0के0 सीमेंट वर्क बनाम ओरियेन्टल इश्योरेंश कम्पनी की नजीर प्रस्तुत की जिसमें ये स्थिर किया गया है कि माल की सुरक्षा के लिये और व्यापारिक जोखिम के लिये अगर पॉलिसी ली गई है तो परिवादी उपभोक्ता माना जायेगा। इस मामले की भी वही दशा है इसलिये परिवादी उपभोक्ता है।

विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से ये बहस की गई कि माल आगरा लाना था उसे मुरैना ले गये तथा 25.05.2006 को मुरैना पहुचा और क्षति की सूचना 09.06.2006 को दी ये बीमा की शर्त का उल्लंघन है। परिवादी उपभोक्ता नहीं है। प्राइवेट लि0 कम्पनी है अपने तक की पुष्टि में अधिवक्ता ने निम्नांकित नजीरें दाखिल की।

1. 2009 (2) CPR 228 NC LIC V/s BR Rao
2. 2011 (1) CPR (page 1) SC Birla Technology V/s Newtral Glass
3. 2012(2) CPR (68) MCS Computer V/s Alana Auto Ind.
4. 2006 ACJ 441 SC Arvid Mils Ltd V/s Associated Roadways.

कम्पनी का यह कहना है कि प्रीमियम 15.04.2006 को मिला था और माल 02.04.2006 को चला किन्तु जो क्षति हुई है यह 17.04.2006 के बाद हुई है जिसका ज्ञान परिवादी को माल के मुरैना पहुचने पर हुहा है तथा परिवादी की ओर से माननीय राष्ट्रीय आयोग की नजीर जे0के0 सीमेटं बनाम ओरियेन्टर इश्योंरेंश कम्पनी लि0 प्रस्तुत हुई है जिसमें ये स्थित किया गया है यदि ये बीमा व्यापारिक गतिविधि के लिये नहीं है तो कम्पनी भी उपभोक्ता है इस मामले में वह दशा

है, माल की सुरक्षा हेतु वीमा कराया गया। ऐसी दशा में वीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत नीजरों का लाभ वीमा कम्पनी को नहीं जाता।

परिवादी को 875846/– रूपये की क्षति हुई है। इस धनराशि को वह विपक्षी से पाने का अधिकारी है और साथ–साथ 1,00,000/– रूपये व्यापारिक क्षति तथा 25,000/– रूपये मानसिक कष्ट और 2000/– रूपये खर्चा मुकदमा भी परिवादी को विपक्षी से दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तदनुसार परिवाद स्वीकार होने योग्य है। यह धनराशि कुल मिलाकर 10,02,846/– रूपये होती है तदनुसार परिवाद स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

परिवाद विपक्षी के विरूद्ध 10,02,846/– रूपये की वसूली हेतु स्वीकार किया जाता है इस धनराशि पर वाद योजन की तिथि 14.03.2008 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार धनराशि परिवादी को निर्णय के 1 माह के अन्दर अदा करे।

11/9/14 11/9/14

(सर्वेश चन्द कुलश्रेष्ठ) (श्याम बिहारी शर्मा)

सदस्य अध्यक्ष

उपरोक्त निर्णय व आदेश खुले फोरम में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

11/9/14 11/9/14

(सर्वेश चन्द कुलश्रेष्ठ) (श्याम बिहारी शर्मा)

सदस्य अध्यक्ष

प्रमाणित प्रतिलिपि (निःशुल्क)
तैयार करने की तिथि 15/9/14
जारी करने की तिथि 15/9/14
प्रथम पक्षकार–परिवादी/अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी
द्वितीय पक्षकार–विपक्षी/प्रत्यर्थी
प्रेषण माध्यम–व्यक्तिगत/प्रमाणित डाक/पंजीकृत डाक
रीडर/लिपिक
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम प्रथम, आगरा

प्रमाणित प्रतिलिपि (निःशुल्क)
तैयार करने की तिथि 12/9/14
जारी करने की तिथि 12/9/14
प्रथम पक्षकार–परिवादी/अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी
द्वितीय पक्षकार–विपक्षी/प्रत्यर्थी
प्रेषण माध्यम–व्यक्तिगत/प्रमाणित डाक/पंजीकृत डाक
रीडर/लिपिक
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम प्रथम, आगरा

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम आगरा।

निष्पादन वाद संख्या — 27/2015

मै0 मारसन्स इलैक्ट्रीकल इन्डण्स्ट्रीज

बनाम

दि औरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0

उपस्थित-- श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष
डॉ0 अरूण कुमार, मा0 सदस्य

दिनांक— 08.04.2024

आज यह पत्रावली पंजाब नेशनल बैंक सूर्यनगर आगरा से आख्या प्राप्त होने पर प्रस्तुत हुई। अवलोकन किया गया। जिला आयोग द्वारा इस इजराय में विपक्षी द्वारा जमा एफ0 डी0 आर0 धनराशि 6,77,000/--रूपये की परिपक्वता धनराशि 12,65,628/—रूपये दिनांक 03.04.2024 को जिला आयोग के बचत खाता में जमा हो चुकी है। अतः इस आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2024 के कम में डिकीदार/परिवादी को एफ0 डी0 आर0 की परिपक्वता धनराशि रूपया 12,65,628/-- (बारह लाख पैंसठ हजार छः सौ अट्ठाईस रूपये) का एकाउन्टपेई चेक मारसन्स इलैक्ट्रीकल इन्ड्रस्ट्रीज के नाम का यथा शीघ्र निर्गत हो।

सदस्य

अध्यक्ष

Received Cheque No 270423 dt. 8.4.24 Rs. 12,65,628/=

For Marson's Electrical Industries
Prop. MEI Power Pvt. Ltd.
15/04/24
Director

Rakesh Pratap Sing. Chauhan
Advocate
ADV.Roll No. AG/1128/2020
Enrollment No. 2548/38
Mob.No 7500400468

17.4.25 — आज डिक्री धारक ने मु0 8,55,893/- रुपया का DD No. 440464 दिनांक 28.3.25 अदालत में जमा करने हेतु दाखिल किया। उक्त DD आयोग के खाते में जमा किया जावे।

सिर — आदेश

27.10.25 — आज यह पत्रावली डिक्रीधारी/परिवादी के प्रार्थना पत्र कागज सं0   दिनांक 27.10.25 के साथ पेश हुई। डिक्रीधारी के विद्वान अधिवक्ता जसवीर सिंह आहूजा को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में बकाया डिक्रीटल धनराशि मु0 855893/- रुपया JD द्वारा 17.4.25 को आयोग में जमा की जा चुकी है जो वर्तमान में आयोग के खाते में जमा है जिसे डिक्रीधारी/परिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

परिवादी/डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। डिक्री की बकाया धनराशि मु0 8,55,893/- रुपया का भुगतान A/c Payee Cheque के माध्यम से डिक्रीधारी/परिवादी को यथाशीघ्र किया जाये। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली dismissed fully की। डिक्री की कोई भी शेष धनराशि नहीं है।

सिर — सदस्य — अध्यक्ष

मु0 855893/- … डिक्रीधारी … के भुगतान … [illegible]